15/6/18 पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। बहुलाल उर्फ वकील प्रार्थी ने प्रा०पत्र 022R4 पत्र पेश किया स्वीकार किया जाता है। उक्त पत्र 022R7 बुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त पत्र किया गया प्रथम दृष्टया के तहत जुर्माना का संबंध एवं अवैध हानि प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है अतः प्रा० पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर दिनांक 30/4/16 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को पक्का तथा स्थायी (Confirm) किया जाता है। प्रार्थी को नाम सत्या तथा पावन किया जाता है कि वो अपने सं. 519 वाले खेत में तथा कब्जे रिकार्ड में की यथा स्थिति बनाए रखें।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner